

इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन**डॉ० चन्द्रकान्त (गर्ग)**

असि० प्रो०, बी० एड् विभाग

स्व० भगवती देवी महाविद्यालय, मेजारोड, इलाहाबाद

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। इस अध्ययन का उद्देश्य न केवल संस्कृत शिक्षा के विषय में संस्कृत से जुड़े लोगों की अभिवृत्ति एवं सोच का मापन करना अपितु संस्कृत शिक्षा के विषय में समग्र एवं समुचित जानकारी उसके साहित्य एवं क्षेत्र में किए गए शोधों के माध्यम से एकत्र करना है।

इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदत्तों को जानकारी एकत्र करने के लिए प्रयोग किया गया है। शैक्षिक अनुसंधान की दृष्टि से वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से वर्णनात्मक अध्ययन है।

प्रस्तुत शोध में संस्कृत शिक्षा के प्रति इलाहाबाद जनपद के चार सौ संस्कृत विषय के छात्रों की अभिवृत्ति एवं मनोदशा का मापन करने के लिए प्रश्नावली सर्वे के लिए जरूरी प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। इस प्रश्नावली का नाम 'संस्कृत विषय से सम्बन्धित अभिवृत्ति' रखा गया है।

शोध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्कृत शिक्षा की वस्तु स्थिति का गहन अध्ययन करने हेतु न्यायादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों से 2-2 शिक्षक (कुल 40 शिक्षक), प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य, प्रत्येक विद्यालय से 20-20 छात्र-छात्राओं (कुल 400 छात्र-छात्राओं) का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

शोध अभिकल्प का अभिप्राय शोध के प्रारूप से होता है किसी भी शोध को सम्पादित करने के लिए शोधकर्ता उस शोध के विषय में एक योजना बनाता है कि वह प्रस्तुत शोध में कौन-कौन सी शोध विधियों का प्रयोग करेगा? न्याय¹ का चयन किस आधार पर करेगा? प्रदत्त संकलन की कौन-कौन सी विधियों का प्रयोग करेगा? प्रश्न का विश्लेषण कैसे करेगा? इन तमाम सवालों का उत्तर हमें शोध अभिकल्प देता है। प्रस्तुत शोध में सर्वे अभिकल्प का प्रयोग किया गया है।

सर्वे अभिकल्प में किसी भी समस्या को जनमानस की सोच एवं अभिवृत्तियों को जानकर समझते हैं। सुलझाते हैं। इससे हम लोगों से किसी कारणात्मक पहलू को नहीं जानना चाहते हैं बल्कि इसमें शोधकर्ता उद्देश्य व्यक्तियों की सोच, अभिवृत्ति आदि की जानकारी प्राप्त करना होता है। प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन में विभिन्न शोध विधियों का प्रयोग किया गया है।

शैक्षिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रस्तावित शोध कार्य मुख्य रूप से वर्णनात्मक अध्ययन है।

इस प्रस्तुत शोध में सर्वे विधि का प्रयोग प्रदत्त एकत्रित करने में किया है। सर्वे विधि वह विधि होती है जिसमें शोधकर्ता एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श लेकर किसी समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, मत विचार आदि का अध्ययन साक्षात्कार द्वारा या प्रश्नावली द्वारा करता है। सर्वे विधि में प्रायः एक बड़ी जनसंख्या के भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगो की प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किया जाता है। चयन प्रत्येक स्तर पर जहाँ तक सम्भव हो यादृच्छिक ढंग से किया जाता है। ऐसा होने से समूह यानी प्रतिदर्श तैयार होगा, वह एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श होगा। सर्वे विधि द्वारा अध्ययन करने में एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर इसलिए जोर दिया जाता है कि इस तरह के प्रतिदर्श प्राप्त निष्कर्ष पूरी जनसंख्या के लिए अधिक सही व उचित होगा।

सर्वे विधि में किस विषय का अध्ययन किया जाएगा और किस तरह व्यक्ति इसमें सम्मिलित किए जायेंगे, यह सर्वे के उद्देश्य पर निर्भर करना है। सर्वे का उद्देश्य वर्णनात्मक भी हो सकता है सहसंबंधात्मक भी हो सकता है।

इस सर्वे विधि के कई प्रकार होते हैं—

(1) संगणना सर्वे—

इस तरह के सर्वे में किसी शहर या गाँव की पूरी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता यहाँ जनसंख्या से अध्ययन के लिए कुछ व्यक्तियों का चयन नहीं करता है बल्कि सभी व्यक्तियों के विचारों या मतों से अवगत होने

की कोशिश करता है। सामान्यतः ऐसे शोध में समय अधिक लगता है तथा खर्च भी काफी पड़ता है। अतः समाज वैज्ञानिक इसका प्रयोग कम ही करते हैं।

(2) प्रतिदर्श सर्वे—

इसमें समाज वैज्ञानिक किसी शहर या गाँव या कई गाँव या शहर मिलाकर व्यक्तियों के एक जीव संख्या को परिभाषित करते हैं। इसके बाद इस जीवसंख्या से कुछ व्यक्तियों को निष्पक्ष भाव से यादृच्छिक ढंग से चुन लेते हैं। इस प्रतिदर्श का अध्ययन करके वह जिन तथ्यों या निष्कर्षों को प्राप्त करता है। उसे वह पूरी जनसंख्या के लिए वैध मान लेता है। प्रतिदर्श जितना अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधिक होता है, प्राप्त निष्कर्ष उतना ही जीव संख्या के लिए उपयुक्त एवं वैध होता है। सर्वे विधि में मुख्यतः चार प्रतिनिधियों का प्रयोग किया जाता है।

(क) साक्षात्कार विधि— साक्षात्कार सर्वे में प्रशिक्षित भेटकर्ता होते हैं जो प्रायः यादृच्छिक रूपसे चुने गए व्यक्तियों के निश्चित समूह से किसी समस्या से संबंधित प्रश्न करते हैं। जब किसी समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति विचार, मत आदि जानने के लिए साक्षात्कार सर्वे का सहारा लिया जाता है तो पहले उस समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक मानक सूची तैयार कर ली जाती है। इन्हीं प्रश्नों को वे व्यक्तियों से एक-एक करके पूछते हैं। ऐसी सूची को साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। प्रश्नों की सूची संगठित व असंगठित हो सकती है।

(ख) प्रश्नावली सर्वे— सब विधि में प्रश्नावली विशेषकर डाक प्रश्नावली का प्रयोग अक्सर किया जाता है। इस विधि में शोधकर्ता, जिस समस्या के बारे में अध्ययन किया जाना है। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के तैयार कर लेता है। उसे पुस्तिका के रूप में छपावकर उन व्यक्तियों को डाक द्वारा भेज देता है जिनका विचार या मत उसे प्राप्त करना होता है। ऐसी उम्मीद की जाती है व्यक्ति पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्न को स्वयं पढ़ेगा और उसका उत्तर देकर पुनः शोधकर्ता को डाक द्वारा लौटा देगा। इस विधि में भी शोधकर्ता व्यक्तियों के समूह का चयन प्रायः यादृच्छिक रूप से करता है।

(ग) पैनल सर्वे— इस विधि में सर्वकर्ता जीवसंख्या से चुने गए व्यक्तियों के समूह का साक्षात्कार दो या दो से अधिक बार करता है तथा समस्या के प्रति उनके विचारों से अवगत कराता है।

(घ) दूरभाष सर्वे— सर्वकर्ता टेलिफोन पर ही व्यक्तियों से शोध समस्या के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करता है और उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस सर्वे का विशेष लाभ है कि इसमें सर्वकर्ता को सूचना आसानी से मिल जाती है एवं समय की बचत होती है।

वर्तमान शोध में ऊपर वर्णित चारों सर्वे विधियों में से साक्षात्कार सर्वे एवं प्रश्नावली सर्वे का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों के जांच के लिए न्यायदर्श के रूप में चयनित चार सौ सदस्यों का न केवल साक्षात्कार/वार्तालाप किया गया (साक्षात्कार सर्वे) बल्कि प्रश्नावली के माध्यम से प्रदत्त का भी संकलन किया गया।

प्रस्तुत शोध में संस्कृत शिक्षा के प्रति इलाहाबाद जनपद के चार सौ विषयी की अभिवृत्ति एवं मनोदशा का मापन करने के लिए प्रश्नावली सर्वे के लिए जरूरी प्रश्नावली का निर्माण किया गया। इस प्रश्नावली का नाम 'संस्कृत विषय से सम्बन्धित अभिवृत्ति' रखा गया। इस अभिवृत्ति मापनी में संस्कृत शिक्षा से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों को कथन के माध्यम से दिया गया। इसमें विषयी से संस्कृत विषय के सम्बन्ध में, इस विषय के महत्व के सम्बन्ध में, संस्कृत विषय के उद्देश्यों के सम्बन्ध में, संस्कृत शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में, विभिन्न कथनों को प्रस्तुत किया गया। विषयी को इन विभिन्न प्रश्नावली के कथनों को पढ़ना था एवं अपनी प्रतिक्रिया पाँच विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर देनी थी। ये विकल्प थे, पहला अत्यधिक असहमत दूसरा, असहमत, तीसरा तटस्थ, चौथा सहमत, पाँचवा अत्यधिक सहमत।

इस प्रश्नावली पर प्राप्त प्राप्तांकों का अधिक होना, संस्कृत भाषा के प्रति विषयी की साकारात्मक अभिवृत्ति एवं धनात्मक रुझान को प्रकट करता है, प्रस्तुत प्रश्नावली में विभिन्न विमाओं में कुल तीस कथनों का समावेश किया गया है,

प्रस्तुत अनुसंधान में साक्षात्कार के लिए भी अनुसूची उपयोग किया गया, इसमें कौन से प्रश्न पूछे जायेंगे, उसे पहले से निश्चित कर लिया गया ताकि साक्षात्कार के लिए एकल एवं बिंदु पर केन्द्रित हो कर सूचना का एकत्रीकरण किया गया। कुल मिलाकर बारह प्रश्नों की सूची का इस अनुसंधान में निर्माण किया गया, जिसका उल्लेख परिशिष्ट में किया गया है।

न्यायदर्श का तात्पर्य, अनुसंधान के लिए जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से व्यक्तियों के चयन से होता है जो कि उस अनुसंधान में उद्देश्यों की जांच पड़ताल में सहायक होगा। चूंकि प्रस्तावित शोध कार्य का क्षेत्र इलाहाबाद जनपद है अतः जनपद के अन्तर्गत स्थित प्रारम्भिक स्तर, माध्यमिक स्तर एवं उच्च शिक्षा के विद्यालयों को इस अध्ययन के अन्तर्गत समावेशित किया गया।

चूंकि इलाहाबाद जनपद का क्षेत्र व्यापक है, जिस कारण सभी विद्यालयों का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए जनपद में स्थिति 20 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा अध्ययन हेतु किया जाएगा। विद्यालयों का चयन करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि सभी विद्यालय ऐसे हो जो अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो तथा ये विद्यालय शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित हों।

शोध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संस्कृत शिक्षा की वस्तु स्थिति का गहन अध्ययन करने न्यादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों से 2-2 शिक्षक (कुल 40 शिक्षक), प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्राचार्य, प्रत्येक विद्यालय से 20-20 छात्र-छात्राओं (कुल 400 छात्र-छात्राएं) का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया। इस प्रकार यह अनुसंधान दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवजन्यता से परिपूर्ण होगा।

प्राप्त परिणामों के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि छात्रों की सोच संस्कृत शिक्षा के प्रति अत्यन्त दयनीय स्थिति को बतलाने वाली है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि छात्रों को सोचना है कि संस्कृत शिक्षा के प्रति इलाहाबाद जनपद में रुझान (छात्रों का) बहुत कम है वे बहुत कम संस्कृत विषय के प्रति आकर्षित होते हैं। शहरी छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा/ विषय रोजगार से संबंधित अवसरों को उपलब्ध कराने में पूर्णरूपेण नाकामयाब रहा है। परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि शहरी छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता से संबंधित कथन पर घोर असहमति दिखाई है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत के प्रति सम्मान से सम्बन्धित कथन पर प्रतिक्रिया में असहमति दिखायी है। अर्थात् इन छात्रों को सोचना है कि संस्कृत शिक्षा के प्रति इलाहाबाद जनपद में छात्रों का रुझान बहुत कम है। वे बहुत कम संस्कृत विषय के प्रति आकर्षित होते हैं।

परिणामों का देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा के विषय में आम लोगों की राय से सम्बन्धित कथन पर दी गयी प्रतिक्रिया में असहमति दिखाई है। परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत द्वारा रोजगार उपलब्धता से सम्बन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई है। अर्थात् ग्रामीण छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा विषय रोजगार से सम्बन्धित अवसरों का उपलब्ध कराने में पूर्णरूपेण नाकामयाब रहा है।

प्राप्त परिणामों के अवलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि छात्रों की संस्कृत शिक्षा के शासकीय प्रयासों के प्रति अत्यन्त नकारात्मक है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि शहरी छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत विद्यालयों के शासन द्वारा ध्यान देने के सम्बन्ध में कथन पर प्रतिक्रिया में असहमति दिखायी है।

आम लोगों को सोचना है कि संस्कृत शिक्षा के प्रति इलाहाबाद जनपद में शासन की गंभीरता बहुत कम है। शासन संस्कृत विषय के प्रति बहुत ही उदासीन अभिवृत्ति रखती है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत विद्यालयों के शासन द्वारा ध्यान देने के सम्बन्ध में कथन पर प्रतिक्रिया में असहमति दिखायी है। अर्थात् इन छात्रों को सोचना है कि संस्कृत शिक्षा के प्रति इलाहाबाद जनपद में शासकीय उत्थान का प्रयास बहुत कम है। वे बहुत कम संस्कृत विषय के प्रति ध्यान देते हैं।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा के विषय में शासन की गंभीरता से सम्बन्धित कथन पर दी गयी प्रतिक्रिया में असहमति दिखाई है। अर्थात् आम लोगों का सोचना है कि

संस्कृत शिक्षा के प्रति इलाहाबाद जनपद में शासन की गंभीरता बहुत कम है। शासन संस्कृत विषय के प्रति बहुत ही उदासीन अभिवृत्ति रखती है।

प्राप्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षा के प्रति शासन द्वारा प्रयासों के संदर्भ में छात्रों की सोच नकारात्मक है अर्थात् शासन संस्कृत शिक्षण के प्रति गंभीर नहीं है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि शहरी छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में शासन द्वारा शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से संबन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि शहरी छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा में शासकीय प्रयासों के विद्यार्थियों पर प्रभाव से सम्बन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई अर्थात् शहरी छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय प्रयास नाकाफी रहे हैं।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि शहरी छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा के प्रति सम्मान से सम्बन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई अर्थात् शहरी छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा/विषय के सम्बन्ध में आम लोगों के मन में सम्मान का नितान्त अभाव है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा के प्रति शासन के प्रयासों के प्रभाव से सम्बन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई। अर्थात् ग्रामीण छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा/विषय में सरकारी प्रयास किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में पूर्णरूपेण नाकामयाब रहा है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीणों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा के प्रति सम्मान से सम्बन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई है अर्थात् ग्रामीण छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा/विषय के विषय में आम लोगों के मन में सम्मान का नितान्त अभाव है।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में संस्कृत शिक्षा में शासकीय प्रयासों के विद्यार्थियों पर प्रभाव से सम्बन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई अर्थात् ग्रामीण छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय प्रयास नाकाफी रहे हैं।

परिणामों को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रामीण छात्रों ने इलाहाबाद जनपद में शासन द्वारा शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित कथन पर घोर असहमति दिखाई है। अर्थात् ग्रामीण छात्रों का मानना है कि संस्कृत शिक्षा/विषय शासन का प्रयास किसी तरह का प्रभाव उत्पन्न कराने में पूर्णरूपेण नाकामयाब रहा है।

एक सामान्य सुझाव यह भी आया कि अगर संस्कृत शिक्षा पर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाय तो इसकी स्थिति को काफी कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि सरकारी प्रयास में अगर और आक्रामकता आ जाए तो संस्कृत शिक्षा को जनमानस से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इनका मानना है कि संस्कृत विषय के गूढ़ व अमूर्त सम्प्रत्यय को ज्यादा रुचिकर व आधुनिक समस्या से जोड़कर समझने की जरूरत है। “जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत भाषा का समय बीत गया वे गलती पर हैं। संस्कृत न केवल भारत में बल्कि समस्त संसार में व्याप्त है। जो संदे”। इस भाषा में हैं वे अन्यत्र नहीं हैं। संस्कृत में बहुमूल्य विभूतियाँ पड़ी हुई हैं। जो यह लांछन लगाते हैं, कि संस्कृत मातृभाषा है, वे गलत सोचते हैं। संस्कृत जीवित ही नहीं, बल्कि मुर्दों के लिये संजीवनी है। हम चाहते हैं कि संसार में काफी लोग संस्कृत के जानने वाले हों।”

संस्कृत हमारी देववाणी है। हमारे धर्म से साक्षात् सम्बन्ध रखने वाले समग्र ग्रन्थ इस भाषा में निबद्ध किये गये हैं। वे ग्रन्थ भी संस्कृत में हैं जिनका साक्षात् सम्बन्ध धर्म से नहीं है। मानव जीवन के लक्ष्यभूत चार पुरुषार्थ माने गये हैं— धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनसे सम्बन्धित विषयों पर हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों ने जो रचनार्ये प्रस्तुत की हैं, वे सब संस्कृत में निबद्ध हैं। इसका शब्द सामर्थ्य अद्भुत है। इस दि”। में वह इतनी समृद्ध भाषा है, कि आज के नवीनतम विषयों के लिये भी पारिभाषिक तथा अन्य प्रकार के शब्द दे सकती है।

भू0पू0 प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “यदि मुझसे पूछा जाये, कि भारत की सबसे वि०ाल सम्पत्ति क्या है और उत्तराधिकार के रूप में उसे सर्वोत्तम कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है तो निःसंकोच उत्तर दूँगा, कि वह सम्पत्ति संस्कृत भाषा और साहित्य एवं उसके भीतर जमा सारी पूँजी ही है।”

दिनांक 4 अक्टूबर 2004 को उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आदेश दिया था कि अगले तीन माह के अन्दर पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को वैकल्पिक रूप में शामिल किया जाये क्योंकि संस्कृत का अध्ययन किये बिना भारत की प्राचीन विरासत की रक्षा संभव नहीं है। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला वर्तमान संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो पहलू हैं। एक तो उच्चतम न्यायालय ने देश में संस्कृत भाषा के अध्ययन के महत्व को प्रतिपादित किया है। दूसरा उसने सरकारों, राजनीतिज्ञों और कतिपय शिक्षाविदों के संस्कृत भाषा के प्रति पूर्वाग्रहों पर चोट की है और इस आशंका को निर्मूल बताया है कि संस्कृत भाषा को एच्छिक विषय बनाने से फ्रेंच, जर्मन भाषाओं के सम्बन्ध में भी ऐसी ही माँग उठेगी। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल टी०एस० तुलसी का यह तर्क हास्यास्पद लगता है कि संस्कृत की फ्रेंच, जर्मन व लेप्टा भाषाओं से तुलना करके उन्होंने संस्कृत भाषा की समृद्धि और भारत की मूल धारा से उसके सम्बन्ध के प्रति अपनी अनभिज्ञता ही जाहिर की है। किसी विदेशी भाषा की आड़ में संस्कृत की उपेक्षा करना उचित नहीं माना जा सकता। विदेशी भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था विभिन्न वि०विद्यालयों में पहले से मौजूद है और काफी संख्या में छात्र इनका अध्ययन भी कर रहे हैं। जहाँ तक संस्कृत का अनुभव यह सिद्ध करता है कि इस भाषा के प्रति न तो सरकारों में कोई लगाव है और न शिक्षा शास्त्री ही इसके महत्व को समझ पाये हैं। कुछ कक्षाओं में संस्कृत को अनिवार्य करना मात्र औपचारिकता रही है और जो छात्र संस्कृत की कक्षाओं में बैठते भी हैं वे भी इसके अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होते।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. संस्कृत शिक्षण | — रघुनाथ सफाया |
| 2. संस्कृत शिक्षण | — रामलाल पाण्डेय |
| 3. संस्कृत शिक्षण विधि | — विजय नारायण चौबे |
| 4. भाषा शिक्षण | — रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव |
| 5. संस्कृत शिक्षण | — प्रभाकर मिश्र |
| 6. हिन्दी शिक्षण | — जयनारायण कौशिक |
| 7. माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण | — निरंजन कुमार सिंह |
| 8. संस्कृत शिक्षण | — सत्यदेव सिंह एवं शशिकला शर्मा |
| 9. शैक्षिक तकनीकी एवं कक्षा कक्ष प्रबन्ध | — सन्तोष मित्तल |
| 10. संस्कृत शिक्षण विधि | — वाचस्पति द्विवेदी |